

नगर पालिक निगम, राजनांदगाव

आयुक्त,  
26/07/18

1. मान. महापौर/मंड.अध्यक्ष, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सादर सूचनाएं।
2. प्रभाषी सदस्य, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं।
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं एवं समाचार पत्रों में निवेदों सूचना का प्रकाशन करावें।
4. प्रभाषी अधिकारी, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाइट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगाव नोटिस बोर्ड पर लगा दें।

प्रतिनिधि-

नगर पालिक निगम, राजनांदगाव  
राजनांदगाव, दिनांक 26/07/2018

पृ.क्र. 219 / निवेदों / लघुसंस / 2018-19

आयुक्त,  
26/07/18

उपरोक्तानुसार निवेदों से संबंधित सामान्य शर्तें, धरहरा गांधी, विस्तृत निवेदों निवेदों, विज्ञापित, निवेदों वरिष्ठ एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव के (लघुसंस विभाग) एवं वेबसाइट [www.mcin.com](http://www.mcin.com) & <http://nad.cg.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। उक्त निवेदों में किसी भी प्रकार का संशोधन, सुद्धिकरण एवं अमंडमेंट प्रथक से विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। वेबसाइट में ही प्रकाशित किया जाएगा।

क	विषय	
1	2	3
1	निगम संभालत निगम अधिनियम के दुरुबलर पौलो में विज्ञापन हेतु बोर्ड लगाये जाने दर आमंत्रित।	16.08-2018

नगर पालिक निगम, राजनांदगाव में निम्न कार्य हेतु मैनुअल निवेदों आमंत्रित की जाती है:-

राजनांदगाव, दिनांक 26/07/2018

पृ.क्र. 218 / निवेदों / लघुसंस / 2018-19

// दितीय निवेदों सूचना //

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव (छोटा)

1. निगम सौभाग्य निगम अधिपत्य की विद्युत पोली में छोट विज्ञापन बोर्ड जिसका अधिकतम आकार 2 X 3 होगा लगाते हैं। निविदा 750/- रु मात्र (रुपये की छयाप्रति) / डीडी द्वारा जमा कर कार्यालयीन दिवस में समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
2. विद्युत पोली में विज्ञापन लगाने का ठेका (दर) एक वर्ष के लिए देना होगा जिसमें 10% वृद्धि कर अधिकतम चार बार नवीनीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार बोर्ड लगाने की अवधि पांच वर्ष की होगी। तथा नवीनीकरण की 50% राशि अर्धम एवं 50% राशि छह माह के अंदर अर्थात् माह दिसम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा।
3. समय-समय पर शासन/निगम द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।
4. निविदादाता को प्रत्येक परिवर्तन में विभवतः भाग के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगा।
5. विज्ञापन बोर्ड का अधिकतम साइज 2 x 3 फीट होगा जो प्रत्येक विद्युत पोली के अर्ध अर्थात् कुल 2 बोर्ड की समाप्ति जा सकता है। विज्ञापन बोर्ड विद्युत उपकरणों से जुड़े नहीं होंगे तथा बोर्ड पर फ्लोरोसेन्ट प्ले कराना आवश्यक होगा एवं बोर्ड रोड से न्यूनतम 10 फीट की उचाई पर लगाए जाएंगे।
6. निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि का एक डीडीआर आर प्रत्येक निगम राजनांदगांव के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि का एक डीडीआर को रख कर बोर्ड पर निविदा अमानत किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय निविदादाता को छेड़ कर शेष का

**/// शर्त ///**

क्र.	स्थान	संख्या	ऑफरिस्ट मूल्य	अमानती राशि	प्रपत्र मूल्य
1	रानी सामर रोड चौपाटी	21	8518.00	851.00	750.00
2	रानी सामर चौपाटी से निवेणी परिसर	28	11314.00	1131.00	750.00
3	खुराफ रोड ओकरे बिज के चपर	34	22760.00	2276.00	750.00
4	गौरव पथ रोड	45	60028.00	6003.00	750.00
5	मदीरिया चौक से बसतपुर चौक तक	51	101515.00	10152.00	750.00
6	बसतपुर महामाया चौक से नंदई चौक तक	52	103951.00	10395.00	750.00
7	नंदई चौक से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक	56	111937.00	11194.00	750.00

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/07/2018 शाम 5.00 बजे तक
2. प्रथम निविदाएं खोलने की तिथि 17/07/2018 शाम 5.00 बजे तक

एवं द्वारा सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों/समूह/अधिकृतों को सूचित किया जाता है कि 07/10/2018 (विद्युत एवं विनिर्माण) उपरोक्त 2012 के अंतर्गत नगर पालिक निगम सौभाग्य के अंतर्गत शहर के विभिन्न परिवेशों में स्थित निगम अधिपत्य के विद्युत पोली पर छोट विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु नगर निगम राजनांदगांव में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों/अधिकृतों से अधिकतम दर प्राप्त करने हेतु सील बंद दो लिफाफे में निविदाएं पंजीकृत एक/दो रोड से आसपास की जाती है। प्रत्येक परिवेश हेतु निष्पत्ति प्रकृष में अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निष्पत्ति शुरूक जमा कर कार्यपालन अधिपति में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से सीधे निविदा प्रपत्र जमा कर निविदा प्रपत्र हेतु निष्पत्ति राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकते हैं।

क-220/निविदा/बाधसेस/2018-19 राजनांदगांव,दिनांक 26/07/2018

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)  
 ॥ द्वितीय निविदा सूचना ॥

नगर पालिक निगम, राजनांदगाव

*Handwritten signature and date: 26/07/18*

1. मान, महेश्वर / मान,अश्वथ, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सादर सूचनाएं।
2. प्रभासी अश्वथ, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं।
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं एवं समाचार पत्रों में निविदा सूचना को प्रकाशन कराएं।
4. प्रभासी अश्वथ, जाला संतर, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं एवं विभागीय एवं शासन के संबंधों में अपवार्ड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कावेराय, नगर पालिक निगम राजनांदगाव नोटिस बोर्ड चरपा हेंवें।

नगर पालिक निगम, राजनांदगाव  
राजनांदगाव,दिनांक 26/07/2018

*Handwritten signature and date: 26/07/18*

16. नगर निगम राजनांदगाव में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसी/समूह/यात्रित ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हैं।
15. उपरोक्त सूची में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर ठेकेदार के जोखिम पर उक्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी। जमा राशि राजस्व कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नगर पालिक निगम राजनांदगाव को भेजी जायेगी। तथा समस्त ये नियम शर्तें विज्ञापन पंजीयन एवं उपरिष्ठ 2012 का अंग माना जायेगा।
14. निविदा पत्रों को सख्ता कम या अधिक ही सकती है, कम होने पर राशि कम जमा कराई जायेगी एवं अधिक पर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जायेगा।
13. निविदा आदेश करने या स्थगित करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा, जिस विषय में प्रतिकार नहीं की जायेगी।
12. सूची में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. निविदा के उपरिष्ठों के विपरीत या यथार्थ से सहायित एवं अवैध विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
10. विज्ञापन एजेंसी द्वारा लगाये गये बोर्ड से किसी व्यक्ति या संपत्ति को किसी क्षति घोट या भले ही वह किसी व्यक्ति या संपत्ति को अपवाद अथवा विज्ञापन एजेंसी की अपवादानी से ही क्षतिपूर्ति की अपवाद विज्ञापन एजेंसी को भेजना होगा। इस हेतु विज्ञापन एजेंसी के द्वारा अपवाद के निमित्त तृतीय पक्ष का बोझ करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा नोटिस प्रकाश करने की तिथि, काल, दिवांडेडर को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो तथा पंजीयन की क्षति या दुर्घटना की अपवाद नहीं हो। प्रदर्शित किये जाने वाले बोर्ड पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई निविदा प्रकाश/अन्यथा विकल्पित किये जाने या नुकसान पहुंचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस हेतु निगम को उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा निगम किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का देनदार नहीं होगा। नुकसान पहुंचाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार निगम एजेंसी को होगा।
8. निगम अथवा शासन को विद्युत पोल की आवश्यकता है ही सूचना मिलने के 7 दिनों के भीतर विज्ञापन बोर्ड पर प्रकाशित होगा, जिसके लिए अतिरिक्त राशि का कोई बलन स्वीकार नहीं होगा।
7. निविदा सूचना के 01 माह के अंदर निविदा की संपूर्ण राशि निगम कोष में जमा करना आवश्यक है। सूची में प्रकाश करने पर निविदा विज्ञापन बोर्ड का ठेका निरस्त कर पुनः निविदा किया जायेगा। सूची में प्रकाश करने पर निविदा सूची में प्रकाश नहीं किया जायेगा।
6. निविदा सूचना के अंदर निविदा की संपूर्ण राशि निगम कोष में जमा करना आवश्यक है। सूची में प्रकाश करने पर निविदा सूची में प्रकाश नहीं किया जायेगा।
5. निविदा सूचना के अंदर निविदा की संपूर्ण राशि निगम कोष में जमा करना आवश्यक है। सूची में प्रकाश करने पर निविदा सूची में प्रकाश नहीं किया जायेगा।